वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग–4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग (आकाशवाणी के पीछे सिरपुर भवन), रायपुर का धमतरी जिले के धमतरी वन मंडल अंतर्गत दुगली में रकबा 1.701 हे. आरक्षित वन भूमि जवर्रा – नगरी मार्ग के काजल नदी पर पुल निर्माण के गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त के अभिमत से सहमत होते हुए पुल निर्माण हेतु 1.701 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांकः 18/01/2021
स्थानः अरण्य भवन, नवा रायपुर

(राकेश चतुर्वेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं
वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉपलेक्स, अटल नगर, रायपुर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2512840 ई – मेलः **apccf-lm.cg@gov.in**

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–707/132 रायपुर, दिनांक18/01/2021

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
अटल नगर, नवा रायपुर

विषयः – **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 for construction of high level bridge across Kajal River on Janwarra road area – 1.701 ha.**
(पंजीयन कं- FP/CG/OTHER/ 25789/2017)

संदर्भः – मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक/ एफ.सी.ए./ 5449 दिनांक 19.08.2020 एवं पत्र क्रमांक 16 दिनांक 01.01.2021

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र–3 में अनुशंसा उपरांत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोड़ल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेकलिस्ट बिन्दु क्रमांक वार विवरण निम्नानुसार हैः–

बि.क्र. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 01 से 12) – आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग (आकाशवाणी के पीछे सिरपुर भवन), रायपुर का धमतरी जिले के धमतरी वन मंडल अंतर्गत दुगली में रकबा 1.701 हे. आरक्षित वन भूमि जवर्रा – नगरी मार्ग के काजल नदी पर पुल निर्माण के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।

बि.क्र. 2. प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 13) – वन मंडलाधिकारी धमतरी द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक – **FP/CG/OTHER/ 25789/2017** आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–1 आधार पर की जाती है। पंजीयन शुल्क 6000 एवं प्रसंस्करण शुल्क 18000 रूपये जमा कराया गया है।

बि.क्र. 3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 14) – धमतरी जिले के धमतरी वन मंडल अंतर्गत दुगली में रकबा मरधुनी जवर्रा कक्ष क्रमांक 317 के रकबा 0.866 हे. एवं सिंघोरा तुमबाहरा के कक्ष क्रमांक 322 के रकबा 0.835 हे.; कुल रकबा 1.701 हे. आरक्षित वन भूमि जवर्रा – नगरी मार्ग के काजल नदी पर पुल निर्माण के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।

बि.क्र. 4. गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 15) – काजल नदी पर पुल निर्माण के निर्माण परियोजना के लिए गैर वन भूमि प्रस्तावितं नहीं है।

बि.क्र. 5. प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1: 50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 16) – प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।

बि.क्र. 6. वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 17 से 18) – वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है।

बि.क्र. 7. प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ 19 से 26) – प्रपत्र – 4 में पुल निर्माण निर्माण हेतु रकबा 1.701 हे. आरक्षित वन भूमि प्रस्तावित है। परियोजना की प्रशासकीय लागत 925.45 बतायी गई है तथा वनों का घनत्व 0.4 तक है।

बि.क्र. 8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 27) – धमतरी जिले के धमतरी वन मंडल अंतर्गत दुगली में रकबा मरधुनी जवर्रा कक्ष क्रमांक 317 के रकबा 0.866 हे. एवं सिंघोरा तुमबाहरा के कक्ष क्रमांक 322 के रकबा 0.835 हे.; कुल रकबा 1.701 हे. आरक्षित वन भूमि जवर्रा – नगरी मार्ग के काजल नदी पर पुल निर्माण के गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्तावित है। उक्त पुल के निर्माण से ग्राम जबर्रा के आसपास के 14 गांव के कुल जनसंख्या 11,356 लोगों को ब्लॉक मुख्यालय नगरी से सीधा संपर्क होगा तथा आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी जिससे स्वास्थ्य सुविधा, दैनिक उपयोग की चीजें सुलभ होगा।

बि.क्र. 9. वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 28) – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/ F.No. 11-9/ 98-FC दिनांक 17.05.2013 अनुसार धमतरी जिला नक्सल प्रभावित होने के कारण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण से छूट प्रदान की गई है।

बि.क्र. 10. न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 29) – धमतरी वन मंडल के दुगली परिक्षेत्र के आरक्षित कक्ष क्रमांक 317 एवं 322 में जबर्रा–नगरी मार्ग के काजल नदी पर पुल निर्माण प्रस्तावित है। इस हेतु प्रस्तावित रकबा आवश्यक एवं न्यूनतम है इस आशय का वन मंडलाधिकारी धमतरी एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 30 से 32) – यूजर एजेंसी का कथन है कि **पर्यावरण स्वीकृति** प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इस आशय का यूजर का प्रमाण पत्र संलग्न है। साथ ही भारत सरकार का राजपत्र असाधारण क्रमांक 10 नई दिल्ली दिनांक 14.09.2006 पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना भी संलग्न है ।

बि.क्र. 12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में) (प्रस्ताव पृष्ठ 33) – आवेदित क्षेत्र में मिश्रित प्रजाति के 13 वृक्षों का विदोहन किया जाना है। विदोहित किये जाने वाले वृक्षों के एवज में 10 गुना वृक्ष लगाने हेतु आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 13. कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 34) – परियोजना 20 हे. से कम होने के कारण कास्ट बेनीफिट की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 14. – चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – राजस्व वन क्षेत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 35) – क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण से छूट होने के कारण लागू नहीं होगा। वन मंडलाधिकारी धमतरी एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 15. गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 36) – क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण से छूट होने के कारण गैर वन क्षेत्र के आसपास का नक्शा की आवश्यकता नहीं है। वन मंडलाधिकारी धमतरी एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 37 से 42) – क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण से छूट होने के कारण लागू नहीं होगा। वन मंडलाधिकारी धमतरी एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 43) – क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण से छूट होने के कारण लागू नहीं होगा। वन मंडलाधिकारी धमतरी एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 18. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 44) – प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

बि.क्र. 19. अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 45) – वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं होने के कारण लागू नहीं होगा।

बि.क्र. 20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 46) – वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं होने के कारण लागू नहीं होगा।

बि.क्र. 21. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 47) – क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण से छूट होने के कारण लागू नहीं होगा।

बि.क्र. 22. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 48) – प्रस्ताव सिंचाई से संबंधित नहीं होने के कारण आवश्यक नहीं है।

बि.क्र. 23. रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 49) – प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 24. माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 50) – प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 25. व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 51) – प्रस्तावित क्षेत्र में किसी को उक्त क्षेत्र से हटाया नहीं गया है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 26. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 52 से 58) – भाग–2 पर वन मंडलाधिकारी धमतरी द्वारा दिनांक 19.05.2020 को उनके द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर प्रस्ताव को स्वीकृति की अनुशंसा की गई है।

बि.क्र. 27. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 59) – व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का स्थल नहीं है जिससे संबंधित वन मंडलाधिकारी धमतरी वन मंडल का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 60 से 61) – प्रस्तावित परियोजना हेतु ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत जबर्रा विकासखण्ड नगरी का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 29. जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 62) – धमतरी जिले की कुल वन भूमि 2125.54 वर्ग कि.मी.. है।

बि.क्र. 30. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 63) – धमतरी वन मंडल में 15 प्रकरणों के लिए 550.356 हे. वन भूमि प्रभावित हुई है। वन भूमि का विवरण संलग्न है।

बि.क्र. 31. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 64) – धमतरी वन मंडल अंतर्गत इस श्रेणी के वन संरक्षण अधिनियम अंतर्गत एक भी प्रकरण व्यपवर्तित की गई है।

बि.क्र. 32. प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 65) – प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्य या हाथी कॉरीडोर नहीं है। वन मंडलाधिकारी धमतरी वन मंडल का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 33. 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव पृष्ठ 66) – खनन प्रकरण नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 34. वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 67 से 73) – आवेदित क्षेत्र के लिये अनुविभागीय अधिकारी बिरगुड़ी के दिनांक 29.06.2020 के कार्यवाही विवरण के आधार पर कलेक्टर धमतरी द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र दिनांक 19.07.2020 को जारी किया गया है।

बि.क्र. 35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 74 से 75) – प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि का कलेक्टर धमतरी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 76 से 78) – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 37. Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance (प्रस्ताव पृष्ठ 79) – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 38. A detailed note on Soil Productivity or the lack of it (प्रस्ताव पृष्ठ 80) – पुल निर्माण हेतु प्रस्तावित 1.701 हे. वन भूमि उपजाऊ नहीं है। वन मंडलाधिकारी, धमतरी एवं परिक्षेत्राधिकारी, दुगली का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 39. परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 81) – वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा इस आशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 40. Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 (प्रस्ताव पृष्ठ 82) – केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 41. पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 83) – बिन्दु क्रमांक –2 पर विवरण दिया गया है।

बि.क्र. 42. वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 84) – वन्य प्राणी क्षेत्र प्रभावित नहीं होने से अभिमत की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 43. विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 85) – लागू नहीं।

बि.क्र. 44. प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 87–95) – डीजीपीएस सर्वे किया जा चुका है तथा आवेदित एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र की वेब पर केएमएल फाईल अपलोड की गई है।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर उनके अनुशंसा से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के

अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग–4 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 2 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–
1. प्रस्ताव 2 प्रतियों में
2. संदर्भित पत्रों की छाया प्रति मय संलग्नक
3. भाग–4
4. टाईम लाईन

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

(सुनील मिश्रा)
अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़